संख्या-08/2016/5152/26-3-2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मद्य निषेध अधिकारी,
जवाहर भवन, अशोक मार्ग
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 18 जनवरी, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत डा0 कुलदीप उज्जवल, अध्यक्ष मद्य निषेध, उ0प्र0 के मानदेय एवं यात्रा व्यय का भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2917 पी0पी0/26-3/2015, दिनांक-30.11.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की उक्त योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0-2,35,000/- (रूपये दो लाख पैतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105- नशाबंदी-0301 मुख्यालय-04-यात्रा व्यय-07-मानदेय के लिये भुगतान के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1627/दस-2015, दिनांक-01 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-08/2016/5152/(1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2

5- निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।

6-डा0 कुलदीप उज्जवल, अध्यक्ष मद्यनिषेध, उ0प्र0 लखनऊ।

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-150)

अनुदान संख्या-80-मद्य निषेध विभाग वित्तीय वर्ष 2015-16 प्रपत्र बी0एम0-09 (धनराशि हजार में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित संक्रमण						निम्नलिखित मदों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति	
लेखाशीर्षक-15 डिजिट कोड में आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक-15 डिजिट में आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 105-[illegible] 0301-मुख्यालय						2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02-समाज कल्याण 105-[illegible] 0301-मुख्यालय					
01-वेतन	2591	214	214	214	2377	04-यात्रा व्यय	100	121	21	21	121
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	30	21	21	21	9	07-मानदेय	5	219	214	214	219
योग	2621	235	235	235	2386	योग	105	340	235	235	340

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नवत है-स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-
04- यात्रा व्यय एवं 07-मानदेय की मद में अध्यक्ष मद्य निषेध परिषद, उ0प्र0 के यात्रा व्यय एवं मानदेय के भुगतान हेतु

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 व 151, में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

Praroop

5

संख्या-[illegible] /दस-3-/27/2015 दिनांक [illegible]

(विजय प्रसाद तिवारी)
अनुसचिव
समाज कल्याण विभाग

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद

([illegible])
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या : 3102 (1)/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
2-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5-निदेशक, एन0आई0सी0 को एक प्रति।
6-[illegible], अध्यक्ष मद्यनिषेध परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7-राज्य मद्य निषेध अधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विजय प्रसाद तिवारी)
अनुसचिव

Praroop

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।